वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक – तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वन मंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 13/09/2022
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख ,छत्तीसगढ

Form -4 (Vividh) 2022(1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स्, अटल नगर/ नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 **ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in**

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–916/ २१० 2 रायपुर, दिनांक 14 /09/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर

विषयः – **रायगढ जिले के रायगढ़ वनमंडल, अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु B.S.SPONGE PVT. LTD. द्वारा laying of water Pipeline from Dewanmunda Nala to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant हेतु क्षेत्रफल 0.144 हे. बाबत।**
पंजीयन कमांक – FP/CG/Pipeline/151253/2022

संदर्भः – मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क्रमांक/तक/2040 दिनांक 16.08.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रायगढ़ वन मंडल के देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रकबा 0.144 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01) – आवेदनकर्ता, मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक – तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वन मंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्राप्त हुआ है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 2) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/Pipeline/151253/2022 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.02.2022 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29,000 रूपये कुल 35,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 3) – प्रकरण में रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वन मंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 4) – प्रस्तावित देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के परियोजना हेतु निजी भूमि की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50,000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 05) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है **(एनेक्जर 1 एवं 2)**।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 06) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है **(एनेक्जर 3 एवं 4)।**

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 07 से 12) – प्रपत्र – 4 में प्रस्तावित देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु पाईप लाईन बिछाने के परियोजना हेतु प्रशासकीय लागत 25.00 लाख रू. बतायी गई है। वन भूमि का घनत्व 0.5 से 0.6 तक है **(एनेक्जर 5 एवं 6)।**

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 13 से 15) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत देवनमुण्डा नाला से प्लांट तक पानी ले जाने हेतु 0.942 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने (1.5 मीटर चौड़ाई) के लिए रायगढ़ वन मंडल, परिक्षेत्र तमनार अंतर्गत ग्राम जामडबरी के आरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक 835 एवं 833 के रकबा 0.144 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है।

यह प्रस्ताव 0.144 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन का है जो कि मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा देवनमुण्डा नाला के नैसर्गिग स्त्रोत से पानी ले जाने हेतु लगभग 1.00 कि.मी. पाईप लाईन बिछाने हेतु है। उक्त पानी का उपयोग निकट में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट में किया जावेगा। विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 16) – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के लिए वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए जो भी राशि वन विभाग द्वारा मांग की जायेगी, जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 17) – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. ग्राम तराईमाल, ब्लाक तमनार, जिला रायगढ़ के पास स्थापित स्पंज आयरन प्लांट हेतु देवनमुण्डा नाला के नैसर्गिक स्त्रोत से पानी ले जाने हेतु बिछाये जाने वाले पाइप लाइन हेतु मांग की गई वन भूमि आवश्यकतानुसार न्यूनतम है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 18) – प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 19 से 24 सी) – आवेदित क्षेत्र में रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 36 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 25) – परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनीफिट विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 26) – गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है, ऐसा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 27) – गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है, ऐसा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 28, 44 से 67 तक) – आवेदित वन भूमि 0.144 हे. के एवज में आवेदित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए विदोहित किये जाने वाले 36 वृक्षो के दस गुना कुल 360 पौधे लगाने हेतु जो भी राशि वन विभाग द्वारा मांग की जायेगी, आवेदक संस्था मेसर्स बी. एस. स्पंज प्रा. लि. रायगढ़ द्वारा जमा किया जावेगा।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित परिक्षेत्र तमनार के तराईमाल के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 833 में रकबा 0.350 हे. में वृक्षारोपण क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक – 46 में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 30) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 31) – वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 32) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा. लि. स्पंज आयरन प्लांट हेतु देवनमुण्डा नाला से पानी ले जाने हेतु पाइप लाईन बिछाने के प्रस्ताव में 1.00 हे. से कम वन भूमि (0.144 हे.) की मांग है। इसमें केवल 36 वृक्षों के विदोहन का प्रस्ताव है, अतः इसमें प्रकरण में केवल 360 पौधे लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 34) – प्रस्ताव सिंचाई से संबंधित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 35) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 36) – प्रस्ताव खनन से संबंधित नहीं होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 37) – प्रकरण में किसी को भी उक्त क्षेत्र से हटाया नहीं जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 43 ए– 43 बी एवं 68) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा दिनांक 13.06.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, रागयढ़ वन मंडल के अनुशंसा के आधार पर भाग–3 में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 27.06.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 71) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी रायगढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 73 से 75) – प्रस्तावित परियोजना हेतु ग्राम जमडबरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 76) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल की कुल अधिसूचित वन भूमि 324301.500 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 77, 77ए, 77बी) – रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 3415.652 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 78) – रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत इस श्रेणी के 04 प्रकरण रकबा 1.917 में वन भूमि व्यपवर्तित की गई है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 79) – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 80) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 82 से 86) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर रायगढ़ द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 15.02.2022 को जारी किया गया है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 87) – प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 88) – आवेदक संस्थान द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance **(प्रस्ताव पृष्ठ 89)** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it **(प्रस्ताव पृष्ठ 90)** – वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल के कथन अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 91) – वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान द्वारा दी गई है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 92 – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 93) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 94) – आवेदक संस्थान के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 95) – लागू नहीं।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 96) – प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.सं (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–916/2103 रायपुर, दिनांक 14/09/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वनमंडलाधिकारी रायगढ वनमंडल रायगढ़, छत्तीसगढ़।
3. **General Manager Administration,** B.S. Sponge Pvt. Ltd., Village Taramal, Post Office Gerwani, District Raigarh, Chhattisgarh

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. सं. अ)
छत्तीसगढ़
7-9-22